

2020/00243

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री महेन्द्रदान

जति चारण

निवासी गुरुकुल रोड धामनी देलवाड़ा आबूपर्वत

जिला सिरौही।

विषय मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

मुकदमा नं. 45 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
11/08/2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 12.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि आर एण्ड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को ब्लास्ट कन्ट्रोल के लिए दी गई स्वीकृति की प्रति एवं मॉनिटरिंग कमेटी आबूपर्वत के सदस्य होने के नाते यह आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया था क्या, से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 12.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि आर एण्ड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को ब्लास्ट कन्ट्रोल के लिए दी गई स्वीकृति की प्रति एवं मॉनिटरिंग कमेटी आबूपर्वत के सदस्य होने के नाते यह आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया था क्या, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एस.डी.एम आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,



296-97
13/8/20